



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24092025-266350
CG-MH-E-24092025-266350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4217]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4217]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4335(अ).—चूंकि भारत सरकार, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 489 दिनांक 06.08.2025 (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित) (आगे “उक्त अधिसूचना” कहलाएगी) द्वारा, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने का अपना अभिप्राय घोषित किया था, ताकि विशेष रेलवे परियोजना के क्रियान्वयन, रखरखाव, प्रबंधन एवं संचालन के लिए, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य में जिला खेड़ा में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच किमी 426/18-20 पर एल सी नंबर 257 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

और, चूंकि उक्त अधिसूचना का सारांश दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों “द इंडियन एक्सप्रेस” दिनांक 13 अगस्त 2025 एवं “निर्मल गुजरात” दिनांक 13 अगस्त 2025 में अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 के उपधारा (1) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी।

विषय: विशेष रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (संरचना सहित या बिना संरचना के), अर्थात् — "पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच कि.मी. 426/18-20 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 257 के स्थान पर दो लेन के रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण", जो गुजरात राज्य के आनंद जिले में स्थित है, जैसा कि डी.आई.एल.आर. आनंद द्वारा तैयार की गई संयुक्त मापन पत्रक में दर्शाया गया है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर वडोदरा डिवीजन के वडोदरा-गेरतपुर खंड के बीच किमी 426/18-20 पर एल सी नंबर 257 के बदले में 2 लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : गुजरात

ज़िला: आनंद

क्र. सं.	सर्वे नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	जमिन मालिक / रुचिकर व्यक्ती
तालुका : आनंद			ज़िला: आनंद		
गाँव : गोपालपुरा					
1	424	निजी	गैर कृषि	0-02-50	वर्मा नरेशभाई ओम प्रकाश वर्मा रेणुकाबेन नरेशभाई वर्मा डॉली नरेशभाई वर्मा सनी नरेशभाई
2	444	निजी	कृषि	0-09-25	गिरीशभाई कालिदास
3	446	निजी	कृषि	0-20-38	ठाकोरभाई बाबरभाई भोई
4	447	निजी	कृषि	0-13-87	रमेशभाई चिमनभाई हर्षदभाई चिमनभाई किरीटभाई चिमनभाई कौशिकभाई चिमनभाई चंपाबेन दिनेशभाई पीयूष दिनेशभाई राजेश दिनेशभाई जयश्री दिनेशभाई
कुल				0-46-00	

[F. No. E. -619627-04]

डी.आर. चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक/निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd September, 2025

S.O. 4335(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (Published in the Gazette of India, under notification No.489 of dated 06.08.2025 Extra Ordinary part II Section-3 Sub-section (II)) (here in after referred to as the said notification) under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, namely, **CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIUE OF LC NO.257 AT KM 426/18-20 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY in District ANAND** in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper “ The Indian Express” dated 13th August 2025. “Nirmal Gujarat ” dated 13th August 2025 under subsection (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

Sub : Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: namely, **CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIUE OF LC NO.257 AT KM 426/18-20 BETWEEN SECTION VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY in District ANAND** in the State of Gujarat as per joint measurement sheet prepared by DILR Anand.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely :
CONSTRUCTION OF 2 LANE ROB IN LIUE OF LC NO.257 AT KM 426/18-20 BETWEEN SECTION
VADODARA-GERATPUR OF VADODARA DIVISION ON WESTERN RAILWAY.

State : GUJARAT

District : Anand

Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be Acquire (in Sqm)	Name of Land Owner/Interested Person
Taluka : Anand			District : Anand		
Village : Gopalpura					
1	424	Private	Non Agriculture	0-02-50	Verma Nareshbhai Om Prakash Verma Renukaben Nareshbhai Verma Dolly Nareshbhai Verma Sunnv Nareshbhai

2	444	Private	Agriculture	0-09-25	Girishbhai Kalidas
3	446	Private	Agriculture	0-20-38	Thakorbhai Babarbai bhoi
4	447	Private	Agriculture	0-13-87	Rameshbhai Chimanbhai Harshadbhai Chimanbhai Kiritbhai Chimanbhai Kaushikbhai Chimanbhai Champaben Dineshbhai Piyush Dineshbhai Rajesh Dineshbhai Jayshree Dineshbhai
Total				0-46-00	

[F. No. E. -619627-04]

D.R. CHAUDHARY, Chief project Manager/Construction-III